



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102021-230652
CG-DL-E-23102021-230652

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 496]
No. 496]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/131/2016/डीडी/187/2016/डीसी/986/2019.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. सुरेश कुमार गोकलानी (सदस्यता संख्या 075009), 11/704, चोपासानी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर 342 008 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. सुरेश कुमार गोकलानी (सदस्यता संख्या 075009) के नाम को 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 50,000/- रुपए (पचास हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका 30 दिन के भीतर भुगतान किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर जुर्माने के भुगतान करने में व्यतिक्रम के मामले में उसका नाम अतिरिक्त 1 मास की अतिरिक्त अवधि के लिए हटा दिया जाएगा। चूंकि प्रत्यर्थी अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का भुगतान करने में असफल रहा है, इसलिए अनुशासन समिति के पूर्वोक्त निर्णय के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. सुरेश कुमार गोकलानी (सदस्यता संख्या 075009) का नाम, 22 अक्टूबर, 2021 से 04 (चार) मास की समेकित अवधि [3 (तीन) मास और अतिरिक्त 1 (एक) मास] के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./360/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2021

(Chartered Accountants)

No. PR/131/2016/DD/187/2016/DC/986/2019.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Suresh Kumar Goklani (Membership No. 075009), 11/704, Chopasani Housing Board, JODHPUR 342 008**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Item (7) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Suresh Kumar Goklani (Membership No. 075009)**, from the Register of Members for a period of 03(Three) months and also imposed a fine of Rs. 50,000/-(Rupees Fifty Thousand) only, to be paid within 30 days and in case of default in payment of fine within stipulated time his name shall be removed for additional 1 month period. Since the Respondent failed to pay the imposed fine within stipulated time, in pursuance of aforesaid decision of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Suresh Kumar Goklani (Membership No. 075009)**, shall stand removed from the Register of Members for a consolidated period of **04(four) months [3(three) months plus additional 1(one) month] with effect from 22nd October, 2021.**

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./360/2021-22]